



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-19042023-245268
CG-DL-E-19042023-245268

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 1709]

नई दिल्ली, बुधवार, अप्रैल 19, 2023/चैत्र 29, 1945

No. 1709]

NEW DELHI, WEDNESDAY, APRIL 19, 2023/CHAITRA 29, 1945

कोयला मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 19 अप्रैल, 2023

का.आ. 1791(अ).—कोयला धारक क्षेत्र (अर्जन और विकास) अधिनियम, 1957 (1957 का 20) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 9 की उपधारा (1) के अधीन जारी भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खण्ड 3, उपखण्ड (ii), तारीख 02 फरवरी, 2023 में प्रकाशित भारत सरकार के कोयला मंत्रालय की अधिसूचना का. आ. संख्यांक 527(अ), तारीख 01 फरवरी, 2023, के प्रकाशन पर उक्त अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में वर्णित भूमि और ऐसी भूमि, (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त भूमि कहा गया है), में के सभी अधिकार, उक्त अधिनियम की धारा 10 की उप-धारा (1) के अधीन, सभी विल्लंगमों से मुक्त होकर, आत्यंतिक रूप से केन्द्रीय सरकार में निहित हो गए थे ;

और केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो गया है कि वेस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड, जिला नागपुर, महाराष्ट्र (जिसे इसमें इसके पश्चात् कंपनी कंपनी कहा गया है), ऐसे निबंधनों और शर्तों का, जो केन्द्रीय सरकार इस निमित्त अधिरोपित करना उचित समझे, अनुपालन करने के लिए रजामंद है ;

अतः, अब, केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 11 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह निदेश देती है, इस प्रकार निहित भूमि 363.45 हेक्टर (लगभग) या 898.08 एकड़ (लगभग) माप वाली उक्त भूमि में या उस पर के सभी अधिकार तारीख 02 फरवरी, 2023 से केन्द्रीय सरकार में इस प्रकार निहित बने रहने के बजाए, निम्नलिखित निबंधनों और शर्तों के अधीन रहते हुए, सरकारी कंपनी में निहित हो जाएंगे, अर्थात् : -

- (1) सरकारी कंपनी, उक्त अधिनियम और अन्य सुसंगत विधियों के उपबंधों के अधीन यथा अवधारित प्रतिकर, ब्याज, नुकसानियों और वैसी ही मदों की बाबत किए गए सभी संदायों की प्रतिपूर्ति करेगी;
- (2) उक्त अधिनियम की धारा 14 के अधीन एक अधिकरण का गठन किया जाएगा जिसमें शर्त (1) के अधीन सरकारी कंपनी द्वारा संदेय रकमों का अवधारण करने के प्रयोजनों के लिए और ऐसे किसी अधिकरण और उक्त अधिकरण की सहायता करने के लिए नियुक्त व्यक्तियों के संबंध में उपगत सभी व्यय, उक्त सरकारी कंपनी द्वारा वहन किए जाएंगे और इस प्रकार निहित उक्त भूमि में या उस पर के अधिकारों के लिए या उनके संबंध में अपीलों आदि सभी विधिक कार्यवाहियों की बाबत उपगत, सभी व्यय भी, सरकारी कंपनी द्वारा वहन किए जाएंगे;
- (3) सरकारी कंपनी, केन्द्रीय सरकार या उसके पदधारियों की, ऐसे किसी अन्य व्यय के संबंध में क्षतिपूर्ति करेगी, जो इस प्रकार निहित उक्त भूमि में या उस पर के अधिकारों के बारे में, केन्द्रीय सरकार या उसके पदधारियों द्वारा या उनके विरुद्ध किन्हीं कार्यवाहियों के संबंध में आवश्यक हो ;
- (4) सरकारी कंपनी को केन्द्रीय सरकार के पूर्व अनुमोदन के बिना, उक्त भूमि और उसके ऊपर के निहित अधिकारों को किसी अन्य व्यक्ति को अंतरित करने की शक्ति नहीं होगी; और
- (5) सरकारी कंपनी, ऐसे निदेशों और शर्तों का पालन करेगी, जो केन्द्रीय सरकार द्वारा, जब कभी आवश्यक हो, उक्त भूमि के विशिष्ट क्षेत्रों के लिए दिए जाएं या अधिरोपित किए जाएं ।

[फा.सं. 43015/10/2021-एलएण्डआईआर]
भबानी प्रसाद पति, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF COAL

NOTIFICATION

New Delhi, 19th April, 2023

S.O. 1791(E).— Whereas, on the publication of the notification of the Government of India in the Ministry of Coal, number S.O. 527(E), dated the 1st February, 2023, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, section 3, sub-section (ii), dated the 2nd February, 2023, issued under sub-section (1) of section 9 of the Coal Bearing Areas (Acquisition and Development) Act, 1957 (20 of 1957) (hereinafter referred to as the said Act), the land and all rights in or over the lands described in the Schedule appended to the said notification (hereinafter referred to as the said land) vested absolutely in the Central Government free from all encumbrances under sub-section (1) of section 10 of the said Act ;

And, whereas, the Central Government is satisfied that the Western Coalfields Limited, District Nagpur, Maharashtra (hereinafter referred to as the Government company) is willing to comply with such terms and conditions as the Central Government thinks fit to impose in this behalf ;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 11 of the said Act, the Central Government hereby directs that the said land measuring 363.45 hectares (approximately) or 898.08 acres (approximately) with all rights in or over the said land so vested, shall with effect from 2nd February, 2023, instead of continuing to so vest in the Central Government, shall vest in the Government company, subject to the following terms and conditions, namely:-

- (1) The Government company shall make all payments in respect of compensation, interest, damages and the like, as determined under the provisions of the said Act and other relevant laws;
- (2) A Tribunal shall be constituted under section 14 of the said Act, for the purpose of determining the amounts payable by the Government company under condition (1) and all expenditure incurred in connection with any such Tribunal and persons appointed to assist the Tribunal shall be borne by the Government company and similarly, all expenditure incurred in respect of all legal proceedings like appeals, and the like for or in connection with the rights, in or over the said land, so vested, shall also be borne by the Government company;
- (3) The Government company shall indemnify the Central Government and its officials against any other expenditure that may be necessary in connection with any proceedings by or against the Central Government or its officials regarding the rights in or over the said land so vested;
- (4) The Government company shall have no power to transfer the aforesaid rights in the said land so vested, to any other persons without the prior approval of the Central Government ; and

- (5) The Government company shall abide by such directions and conditions as may be given or imposed by the Central Government for particular areas of the said land, as and when necessary.

[F.No. 43015/10/2021–LA&IR]
BHABANI PRASAD PATI, Jt. Secy.